न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 सौम्या झा

आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं0 12/2025

कालूराम पुत्र दल्ला निवासी भूडला भुतपुरिया तहसील लवाण थाना लवाण जिला दौसा

....अपीलांट

बनाम

1. मांग्या पुत्र दल्ला जाति मीना निवासी भूडला भुतपुरिया तहसील लवाण थाना लवाण –
2. बादाम देवी पत्नि चून्या जाति मीना निवासी भूडला भुतपुरिया तहसील लवाण थाना लवाण
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

.....रेस्पों0

अपील विरूद्ध आदेशः सहायक भू प्रबंध अधिकारी दौसा मुख्यालय जयपुर दिनांक 23.09.81 जो खसरा परिशोधन पत्र उत्तराधिकार संख्या 8 ग्राम भूडला भूतपुरिया पर पारित किया गया है।

उपस्थित : 1 श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट।

2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

3. श्री सेडूराम शर्मा, सुरेश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 व 2

निर्णय दिनांक 03.6.2026

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि ए एस ओ के आदेश दिनांक 23.9.1981 जो खसरा परिशोधन क्रमांक 8 ग्राम भूडला भूतपुरा में पारित किया गया है, से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब कियागया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद पर उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय सहायक भू प्रबंध अधिकारी दौसा मुख्यालय, जयपुर दिनांक 23.09.81 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी क्यो कि उक्त निर्णय अपीलान्ट व अन्य वारिसान को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई जॉच किये बिना पारित किया गया है इसलिये अपीलान्टं को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी सर्वप्रथम न्यायालये उपखण्ड अधिकारी लवाण में एक दावा अनुवानी कल्याण बनाम कालुराम का अपीलान्ट को सम्मन प्राप्त हुआ और अपीलान्ट को उक्त सम्मन के साथ दावा की कापी प्राप्त हुई उक्त दावे को दिनांक 16.08.2025 को पढवाया तो जानकारी मे आया कि उक्त दावे में मांग्या के पिता का नाम भौरया लिखा हुआ है और मांग्या का 1/2 हिस्सा लिखा हुआ है जबकि उक्त भूमि मे मांग्या का 1/6 हिस्सा है और मांग्या, भौरया का पुत्र नही है बल्कि दल्ला का है और तब वर्तमान जमाबंदी का देखा को जानकारी में आया कि जमाबंदी मे माग्या के पिता का नाम भौरया दर्ज हो रहा है तव अपीलान्ट नें उक्त जमीन के पुराने रिकार्ड की जानकारी की व नकल हेतु दिनांक 18.08.2025 को आवेदन पत्र पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 18.08.2025 को मिली तब सर्वप्रथम जानकारी हुई कि मांग्या दल्ला का पुत्र होने के बावजूद उसने फर्जीवाडा करके अपने आप को भौरया का पुत्र बताकर उक्त भूमि मे अपने नाम 1/2 हिस्सा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सेटलमेन्ट के दौरान खसरा परिशोधन संख्या 8 उत्तराधिकार का भरवाकर और दिनांक 23.09.81 को सहायक भू प्रबंध अधिकारी से निर्णीत करवा रखा है तथा यह भी जानकारी हुई कि उक्त मांग्या ने दल्ला का पुत्र होने के बावजूद भौरया का पुत्र बताकर और फर्जी तरीके से उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का एक फर्जी विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नंबर 2 अपनी साली के नाम तस्दीक करवा दिया तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण भरवाकर तस्दीक करवा रखा है तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी हुई है इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नही थी इसलिये अपील पेश करने मे देरी हुई है जिसे ' क्षमा किया जाकर अप्रैल को अन्दर मयाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। कानूनन उक्त निर्णय वैसे भी अवैध अमान्य व प्रभावशून्य निर्णय है जिसकी अपील करने की कोई मयाद भी निर्धारित नही होती है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। दफा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से सलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर विलंब को क्षमा किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2018(1) पेज 186, आरआरटी 2023(1) पेज 1, आरआरटी 2022(1) पेज 494, आरआरटी 2024(1) पेज 375–376, आरआरटी 2022(1) पेज 467, आरआरटी 2011(1)पेज 603, आरआरटी 2018–19 **(Supp)** पेज 145, आरआरटी 2023(2)पेज 1241, आरआरटी 2025(2) पेज 904–905, आरआरटी 2023(2) पेज 1040–1041, आरआरटी 2017(2) पेज 1104–1105 की प्रतियां पेश की गई।

4. अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 2 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में वर्णित तथ्य झूठें, गलत, बनावटी, मनगढन्त होने से अस्वीकार है। उक्त मद में यह अंकित किया गया है कि अपीलान्ट को उपरोक्त नामान्तकरण आदेश दिनांक 23/09/1981 की जानकारी नही थी अपीलान्ट को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 16/08/2025 को हुयी है उक्त तथ्य झूठें, गलत, बनावटी, मनगढत होने से अस्वीकार है जबकि अपीलान्ट को आलोच्य नामान्तकरण आदेश की जानकारी आदेश पारीत होने के दिनांक से ही रही है। इसी मद में यह भी अंकित किया गया है कि माग्या ने भौरया का पुत्र बताकर एक फर्जी विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के नाम तस्दीक करवा दिया, जिसका नामान्तकरण भरवाकर तस्दीक करवा रखा है इसके सम्बन्ध मे हमारा निवेदन है कि नामान्तकरण संख्या 416 दिनांक 22/07/2025 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार लवाण द्वारा नियमानुसार तस्दीक किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है और रजिस्टर्ड दस्तावेज को केवल सिविल न्यायालय मे ही चुनौती दी जा सकती है और सिविल न्यायालय ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त घोषित कर सकता है राजस्व न्यायालय को अधिकारीता प्राप्त नही है इस कारण अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नही है अर्थात प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। 2. यह है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु तथा प्रार्थना पत्र से चाही गयी रिलीफ के खिलाफ होने से प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 मांगीलाल, भौरया के जीवनकाल से ही उसके पास रहता चला आ रहा था भौरया की मृत्यू के बाद उसके समस्त क्रिया–कर्म, नूक्ता आदि किये है जिसकी लिखावट तत्कालीन समय के जागा की पोथी मे भी है भौरया पुत्र लोहडिया की पगडी मजमे – आम तथा सभी रिस्तेदारो के सामने प्रत्यर्थी संख्या 1 मांगीलाल, के बांधी गयी थी इसी कारण अपीलान्ट के पिता दल्ला पुत्र लोहडिया के जीवनकाल मे अपीलान्ट के पिता दल्ला पुत्र लोहडिया के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 मांगीलाल के नाम भौरया पुत्र लोहडिया की विरासत का नामान्तकरण दौराने सेटलमेन्ट दिनांक 23/09/1981 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा मजमेकृआम मे गाँव के के लोगो से तथा सरपंच से पुछताछ कर अपीलान्ट के पिता दल्ला के कहे अनुसार उसकी मौजूदगी मे खोला गया है इसी के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 मांगीलाल, अपनी

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तीनो बुवाओ पांची, सुन्दरी, जनकी के भात– जामना व अन्य कार्यो मे अपना हिस्से 1/2 का भूगतान करता चला आ रहा है। जिसकी जानकारी आरम्भ से अपीलान्ट को रही है लेकिन मांग्या के कोई सतान नही होने तथा उसके द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने के कारण उक्त अपील मान्य न्यायालय के समक्ष दूरभावना से प्रस्तुत की गयी है जिससे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम तथा अपील नामान्तकरण खारीज होने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 मांगीलाल, भौरया के जीवनकाल से ही अपने 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है भौरया की मृत्यू के बाद भी प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने 1 /2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा कुए के अपने हिस्से 1/2 पर बिजली कनेक्शन मांगीलाल पुत्र भौरया के नाम से तथा 1/2 हिस्से पर बिजली कनेक्शन दल्ला पुत्र लोहडिया के नाम से हो रहा है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को शुरूवात से रही है जिससे प्रार्थना पत्र तथा अपील धारा मियाद अधिनियम नामान्तकरण खारीज होने योग्य है। अपील मे विवादित भूमि भौरया, दल्ला पुत्रान लोहडिया दोनो की खरीदशुदा भूमि थी जिसमे भौरया पुत्र लोहडिया की मृत्यू के बाद जमाबन्दी खतोनी व नक्शा दुरूस्ती का एक प्रकरण मांग्या पुत्र भौरीलाल तथा दल्ला पुत्र लोहडिया द्वारा उप जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष विचाराधीन रहा है तथा दिनांक 11/09/2006 को निर्णित किया गया है उसमे भी गाँव के लोगो के बयानो मे मांग्या को भौरीलाल का पुत्र तथा वारीश माना गया है। अपीलान्ट के पिता दल्ला पुत्र लोहडिया की मृत्यू के बाद दिनांक 25/05/2006 को विरासत का नामान्तकरण खोला गया है जिसमे प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम दल्ला की विरासत मे नही है। अपीलार्थी ने स्वंय वर्ष 2015 मे इसी कृषि भूमि के अपने 1/12 हिस्से पर केसीसी लोन लिया है जिसका रहन का नामान्तकरण 275 दिनांक 21/12/2015 तहसीलदार लवाण द्वारा खोला गया है इस प्रकार विवादित आदेश की जानकारी अपीलान्ट को शुरूवात से रही है जिससे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम तथा अपील नामान्तकरण खारीज होने योग्य है। अपीलान्ट कालूराम स्वयं भी मांग्या उर्फ मांगीलाल को भौरया का वारीश मानता हैं इस तथ्य का समर्थन अपीलान्ट द्वारा दिनांक 3/11/2023 को पुलिस थाना लवाण में मारपीट गाली गलोच करने के बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि मांगीलाल पुत्र भौरया ने गाली गलोच की है इस प्रकार अपीलान्ट स्वयं मांगीलाल को भौरया का वारीश व पुत्र मानता है यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अपीलान्ट के अन्य भाई कल्याण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लवाण मे विभाजन का वाद पेश किया है जिसमे मांगीलाल को भौरया का पुत्र एवं वारीश मानकर प्रत्यर्थी संख्या 1 को 1/2 का हिस्सेदार माना है इसी प्रकार अपीलान्ट के अन्य भाई बदरी एवम चुन्नीराम भी मांगीलाल को भौरया का वारीश व पुत्र मानते है इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वीकृत तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नही है इस कारण भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम तथा अपील नामान्तकरण खारीज होने योग्य है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही भारी कोस्ट पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 2 ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2015(2) आरआरटी पेज 1089, 2012(1)आरआरटी पेज 101, 2016(1)आरआरटी पेज 333, 2024(2)आरआरटी पेज 1383, 2024(2)आरआरटी पेज 1212, 2017(2) आरआरटी पेज 1328, 2017(2) आरआरटी पेज 787, 2024(2)आरआरटी पेज 1094, 2024(2)आरआरटी पेज 1353, 2015(1) आरआरटी पेज 369 की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में आदेश को 44 वर्ष से भी अधिक विलंब से चुनौती दी गई है। अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की दफा 5 कानून मियाद पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र तथा न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया।

7. अपीलांट द्वारा सहायक भू प्रबंध अधिकारी/भू अभिलेख अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 23.9.1981 को खसरा परिशोधन/उत्तराधिकार प्रकरण में पारित आदेश को लगभग 44 वर्ष की अवधि पश्चात, धारा 5 परीसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र सहित चुनौती दी गई है। अपीलार्थी का कथन है कि उसे विवादित प्रविष्टि की जानकारी प्रथम बार अगस्त 2025 में हुई।

8. यह कथन अभिलेख से असमर्थित है। अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने स्वयं वर्ष 2015 में अपने 1/12 हिस्से पर के0सी0सी0 ऋण हेतु रहन नामान्तरण सं0 275 कराया तथा वर्ष 2023 में पुलिस को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पों0 मांगीलाल को पुत्र भौरया अंकित किया। इस प्रकार अपीलार्थी को विवादित हिस्सा स्थिति की जानकारी वर्षों पूर्व से रही है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि परीसीमा विलंब क्षमा का प्रश्न गुणावगुण से पूर्व कारणयुक्त आदेश द्वारा निर्णित किया जाना चाहिए। 44 वर्ष का असाधारण विलंब, अपीलार्थी के स्वयं के पूर्ववर्ती कृत्यों के आलोक में, क्षमायोग्य नहीं पाया जाता।

9. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी द्वारा वस्तुतः जो अनुतोष चाहा गया है, दत्तक/गोदनामा की वैधता का निर्धारण, उत्तराधिकार एवं हिस्से की घोषणा तथा पंजीकृत विक्रय पत्र का निरस्तीकरण सक्षम सक्षम सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय है, न कि इस राजस्व अपील का। इस न्यायालय द्वारा वर्ष 1981 की उत्तराधिकार प्रविष्टि को अपास्त कर अथवा गोदनामा/स्वामित्व पर निष्कर्ष देकर राहत प्रदान किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत अपील समय सीमा से बाधित होने के कारण निरस्त की जाती है। अपीलार्थी को उत्तराधिकार, गोदनामा की वैधता, हिस्से अथवा पंजीकृत विक्रय पत्र से संबंधित विवाद हेतु, सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष विधि अनुसार कार्यवाही प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता रहेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय से उक्त प्रश्नों के गुणावगुण पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 03 जून, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official